

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



पत्रांक : परीक्षा / 5848
दिनांक - 28/02/2022

बी०ए० / बी०कॉम० / एम०ए० / एम०काम० (व्यक्तिगत) परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

व्यक्तिगत परीक्षा के लिए पात्रता एवं मुख्य नियम

इन सभी नियमों की जांच परीक्षा फार्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर गहनता से कर ली जाये तभी परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय में जमा किये जायें।

- परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.12.2009 में लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किसी अर्थर्थों को निवास प्रमाण—पत्र लगाने की आवश्यता नहीं होगी, परन्तु उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे अर्थर्थों जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा, उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो डी०एम०, ए०डी०एम०, एस०डी०एम० द्वारा निर्गत डोमीसाइल प्रमाण—पत्र/उत्तर प्रदेश में निवास स्थान का आधार कार्ड फार्म के साथ संलग्न करने पर, इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में बिना विशेष शुल्क दिये सम्भिलित हो सकते हैं अन्यथा की स्थिति में रु० 5,500/- विशेष शुल्क देय होगा। परीक्षा फार्म भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमीसाइल प्रमाण—पत्र/आधार कार्ड मान्य नहीं होगा।
 - विशेष शुल्क सम्बन्धी यह प्रावधान इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में शामिल होने वाले केवल नवीन छात्रों पर ही लागू होगा। ऐसे छात्र/छात्रा जो पहले से ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पंजीकृत/नामांकित हैं अर्थात् यदि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नामांकन संख्या आवंटित है, उन्हें विशेष शुल्क से छूट होगी।
 - बिना प्रवजन प्रमाण—पत्र जमा किये किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा फार्म के साथ प्रवजन प्रमाण—पत्र मूलरूप में (In Original) संलग्न करना अनिवार्य है। यदि किसी परीक्षार्थी का मूल प्रवजन प्रमाण—पत्र खो जाता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रवजन प्रमाण—पत्र की द्वितीय प्रति मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रवजन प्रमाण—पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी।

3. परीक्षा फार्म के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया प्रमाण—पत्र सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। रिक्त होने अथवा उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य से हस्ताक्षरित होने पर परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
 4. योग्यता परीक्षा यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने पर उस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल रूप में परीक्षा फार्म के साथ लगाना आवश्यक है। अन्यथा परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। प्रतिकृति हस्ताक्षर (facsimile signature) मान्य नहीं होंगे।
 5. अन्य विश्वविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय की द्वितीय/तृतीय वर्ष की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठने की अनुमति नहीं है।
 6. विदेशी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
 7. 10+2 परीक्षा पद्धति अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की बी०ए०/बी०कॉम० (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रथम वर्ष की परीक्षा में इस विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत समिलित हो सकते हैं। छात्र/छात्रा द्वारा 10+2 परीक्षायें इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
 8. राष्ट्रीय ओपन स्कूल से उत्तीर्ण अथवा सैकेन्डरी व सीनियर सैकेन्डरी परीक्षा 10+2 परीक्षा पद्धति से पांच विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही बी०ए०/बी०कॉम० प्रथम भाग की परीक्षा में समिलित हो सकेंगे। 11 वर्षों में ही सीनियर सैकेन्डरी अथवा चार विषयों में इण्टर/अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
- Note :** No candidate will be considered eligible for admission to B.A./B.Com. on the basis of having passed any Diploma from the Board of Technical Education U.P. or by any other board. Any Earlier decision of the University regarding recognition of such Diplomas is hereby RESCINED.
9. 10+2+3 (10+2+2 वर्ष 1986 तक) परीक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की एम०ए०/एम०कॉम० परीक्षा में समिलित होने के लिए अर्ह हैं। परीक्षा में समिलित होने के लिए अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षायें इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिन्होंने 10+1+3, 11+3 अथवा उसके समकक्ष पद्धतियों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं वे इस विश्वविद्यालय की एम०ए०/एम०कॉम० की परीक्षा में समिलित नहीं हो सकेंगे।
 10. तैयार प्रवेश—पत्र के बिना परीक्षा में समिलित होना अथवा महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परीक्षा में समिलित कराया जाना मान्य नहीं होगा और अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
 11. विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षार्थी को तीन वर्षीय परीक्षा तथा दो वर्षीय परीक्षा पूर्ण सीमावधि की गणना शैक्षिक सत्र से की जायेगी जो क्रमशः तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को छः वर्ष में तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम को चार वर्ष में पूर्ण कर लेना होगा अन्यथा उसके द्वारा उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा रद्द समझी जायेगी।
 12. अभ्यर्थी को आवेदन—पत्र के साथ संलग्न विषय/तथा उस विषय से सम्बन्धित आवेदन—पत्र में अंकित प्रश्न—पत्रों का ही चयन करना है, किसी अन्य विषय/प्रश्न—पत्र की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 13. विश्वविद्यालय ऐसे अभ्यर्थी को दी गई अनुमति वापस ले सकता है, जिसे विश्वविद्यालय ने भूलवश अथवा त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी हो जबकि वह परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह न हो।
 14. परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी तथ्य गलत होने पर विश्वविद्यालय किसी भी ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षाफल/उपाधि रद्द कर सकता है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया हो अथवा जिसने परीक्षा फार्म के साथ जाली प्रमाण—पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की हों। यदि जाँच में किसी भी समय प्रमाण—पत्र फर्जी पाये गये तो अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
 15. अभ्यर्थी भली—भाँति यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा फार्म आनलाईन भरने के पश्चात् विषय/प्रश्न—पत्र एवं केन्द्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 16. जिन छात्रों ने किसी बाह्य विश्वविद्यालय से, एक वर्षीय (सिंगल सिटिंग) पाठ्यक्रम से वर्ष 1998 के बाद स्नातक उपाधि प्राप्त की है, वे परास्नातक परीक्षा में समिलित होने के लिए अर्ह नहीं हैं।
 17. विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 के मद संख्या—2 के अनुपालन में विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म भरवाये जाने हेतु बनायी गयी समिति के निर्णयानुसार केवल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण स्नातक स्तर के छात्र/छात्रायें जो एकल विषय के रूप में व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म भरना चाहते हैं (ऐसे छात्र/छात्रायें केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में) व्यक्तिगत पाठ्यक्रम में संचालित विषयों/ग्रुप में ही व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म भर सकते हैं। अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें एकल विषय व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- नोट :-** एकल विषय परीक्षा में समिलित अभ्यर्थी बैंक पेपर परीक्षा एवं केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुमन्य नहीं होंगे।
18. जिन छात्रों ने सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तर मध्यमा एवं शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी०ए० तथा एम०ए० (केवल संस्कृत) की परीक्षा में समिलित हो सकते हैं। (प्रवेश नियम—21(i), सत्र 2021-22)

19. जिन छात्रों ने साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) से परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में समिलित होने हेतु अहं नहीं हैं। (प्रवेश नियम-22, सत्र 2021-22)
20. बी०बी०ए० तथा बी०सी०ए० की परीक्षा, क्रमशः बी०कॉम० तथा बी०एस-सी० (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।
21. व्यक्तिगत छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रायोगिक विषय/डेजरटेशन (Dissertation) लेने की अनुमति नहीं है।
22. अभ्यर्थी, जिसने आविद, कामिल परीक्षा जामिया-ए-उद्दू अलीगढ़ से उत्तीर्ण की है वे इस विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अहं नहीं हैं। (प्रवेश नियम-23, सत्र 2009-10)

IMPORTANT : Candidate who have passed any examination from "All India Board of Secondary Education, Delhi" (अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली), "Central Board of Higher Education, Uttam Nagar, New Delhi" (केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्, उत्तम नगर, नई दिल्ली), "Central Board of High Education, East Patel Nagar, New Delhi" (केन्द्रीय उच्च शिक्षा परिषद्, पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली), "Board of Adult Education & Training, Aliganj, Mubarakpur, New Delhi" (वयस्क एवं तकनीकी शिक्षा परिषद्, अलीगंज, मुबारकपुर, नई दिल्ली) तथा "Gurukul Vishvidyalaya, Vrindavan" (गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन) etc. are not eligible for admission to any course of study in this University.

उक्त के अतिरिक्त प्रवेश हेतु पात्रता सम्बन्धी बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची निर्धारित प्रवेश नियमावली के अनुरूप ही मान्य होगी।

23. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक की परीक्षा (बी०ए०/बी०कॉम०) चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है, ऐसे अभ्यर्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही एकल विषय (Single Subject) का परीक्षा फार्म भरने हेतु अहं होंगे।
24. परीक्षार्थी को परीक्षा फार्म के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों को संलग्न करके अपने चयनित केन्द्र/महाविद्यालय में निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा, जिसकी केन्द्र/महाविद्यालय से रसीद प्राप्त कर एवं चालान फार्म की एक प्रति परीक्षार्थी को सुरक्षित रखनी चाहिए।
25. किसी भी कारण से यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में समिलित नहीं होता है अथवा परीक्षा फार्म निरस्त हो जाता है तो उसका परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जायेगा और न ही अगली परीक्षा के लिए सुरक्षित किया जायेगा।
26. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म भरने के लिए अहं है।
27. स्नातक तृतीय वर्ष की बैंक पेपर परीक्षा में शामिल छात्र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म नहीं भर सकता है।
28. विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 के मद संख्या-2 के अनुपालन में विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म भरवाये जाने हेतु बनायी गयी समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक D.O.No. 1-15/2015(CPP-II) दिनांक अगस्त, 2015 के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्विवर्षीय स्नातक उपाधि वर्ष 1986 तक पूर्ण कर ली है और ऐसे अभ्यर्थी परास्नातक स्तर (एम०ए०/एम०कॉम०) हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें भी व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म भरे जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
29. स्नातक स्तर (बी०ए०/बी०कॉम०) में सन्दर्भित अभ्यर्थी केवल एक कोड/ग्रुप के साथ फाउण्डेशन कोर्स के साथ एक क्यालीफाईग कोर्स हेतु तथा परास्नातक स्तर (एम०ए०/एम०कॉम०) हेतु पाँच विषय कोड वाले एक कोड में तथा छ: या छ: से अधिक विषय कोड वाले दो कोडों की बैंक पेपर परीक्षा हेतु ही अहं होंगे।
30. अभ्यर्थी जिस सत्र की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी समिलित हुआ है वह केवल उसी सत्र में आयोजित होने वाली बैंक पेपर परीक्षा हेतु अहं होगा। पूर्व के वर्षों में समिलित अभ्यर्थी बैंक पेपर परीक्षा हेतु अहं नहीं होंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी भी दशा में री-बैंक अनुमत्य नहीं है।
31. उक्त के अतिरिक्त पात्रता सम्बन्धी शेष नियम संस्थागत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित प्रवेश नियमावली शैक्षिक-सत्र 2021-22 के अनुरूप ही मान्य होंगे। सन्दर्भित नियम विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध हैं।
32. यदि कोई विधिक विवाद उत्पन्न होता है तो इसका परिक्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में निहित होगा।

विशेष नोट :-

अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही व्यक्तिगत परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरें अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी का परीक्षा फार्म एवं परीक्षा हो जाने की स्थिति में परीक्षाफल निरस्त किया जा सकता है।

सहा० कुलसंघिव (परीक्षा)

28/02